कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–8/नियुक्ति/पीएससी/15/2017 दिनांक–29.09.2019 तथा संशोधित आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/संशोधन 2019/322 के तहत् महावीर प्रसाद व्याख्याता, राजनीति विज्ञान को राबाउमावि लिखमीसर,पीलीबंगा हनुमानगढ़ पदस्थापित किया गया था। महावीर प्रसाद ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी. सिविल याचिका संख्या 2079/2020 महावीर प्रसाद बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। एस. बी. सिविल याचिका संख्या 2079/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 द्वारा महावीर प्रसाद को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी महावीर प्रसाद द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का बिना काउंसलिंग के पदस्थापन 150 किमी दूर करने, स्वयं का कमजोर दृष्टि (Low Vision) रोग से पीड़ीत होने, वृद्व माता–पिता की देखभाल स्वयं पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि नोहर, हनुमानगढ़ की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित में कहीं पर भी पदस्थापन किया जा सकता है। चूंकि अपीलार्थी का पदस्थापन उनकी दिव्यांगता श्रेणी के आधार पर स्वयं के गृह जिले में ही किया गया है तथा पीलीबंगा ब्लॉक से नोहर ब्लॉक की वास्तविक दूरी 88 किमी है। अपीलार्थी द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.01.2020 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/या. 2079/2020/महावीर/2020 दिनांक:–18/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा............................।
3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7.संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8.गार्ड पंजिका॥

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर